भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पादन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1552
27 नवम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

रक्षा उत्पादन में उपलब्धि

1552. डॉ. मनोज राजोरिया :
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेक इन इंडिया के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान शस्त्र प्रणाली और सहायक उपकरणों के संबंध में क्या प्रगति की गई है;

(ख) मेक इन इंडिया के अंतर्गत कितने स्तर पर स्वदेशीकरण प्राप्त किया गया है;

(ग) इसके लिए क्या पहल की गई है; और

(घ) रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पर सरकारी और निजी रक्षा उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ): एक विवरण संलग्न है ।

लोक सभा में दिनांक 27.11.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 1552 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढावा देने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित नीतिगत पहलें की है:-

i. रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) को 2016 में संशोधित किया गया है जिसमें घरेलू रक्षा उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट प्रावधान लागू किए गए हैं।

ii. रक्षा उपस्करों के स्वदेशी डिजाइन एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु डीपीपी-2016 में अधिप्राप्ति की नई श्रेणी 'खरीदो {भारतीय - आईडीडीएम (स्वदेशी रूप से अभिकल्पित, विकसित एवं विनिर्मित)}' की शुरूआत की गई है । पूंजीगत उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है । इसके अलावा, 'खरीदो (वैश्विक) और खरीदो एवं बनाओ(वैश्विक)' श्रेणियों की तुलना में पूंजीगत अर्जन की 'खरीदो (भारतीय) और खरीदो एवं बनाओ(भारतीय)' श्रेणियों को वरीयता प्रदान की गई है ।

iii. एफडीआई नीति में संशोधन किया गया है और संशोधित नीति के अनुसार, 49 प्रतिशत तक एफडीआई स्वचालित मार्ग के जरिए और जहां कहीं इसके फलस्वरूप आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच की संभावना हो अथवा रिकार्ड किए जाने वाले अन्य कारणों हेतु 49 प्रतिशत से अधिक एफडीआई सरकारी मार्ग के जरिए अनुमत है।

iv. अप्रैल, 2018 में रक्षा उत्कृष्टता नवाचार (आईडीईएक्स) शीर्षक से रक्षा के लिए एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की शुरुआत की गई है । आईडीईएक्स का उद्देश्य एमएसएमई, स्टार्ट अप्स, वैयक्तिक नवाचारकों, आर एण्ड डी संस्थानों और शैक्षिक संस्थानों सहित उद्योगों को शामिल कर रक्षा और एरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करना है और उन्हें अनुदान/वित्तीय व अन्य सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे रक्षा और अनुसंधान कर सकें जिसकी भारतीय रक्षा और एरोस्पेस आवश्यकताओं के लिए भविष्य में अपनाने की संभावना है ।

v. 'बनाओ' प्रक्रिया को सरल बनाया गया है जिसमें भारतीय उद्योग के लिए 90% विकास लागत का वित्त-पोषण सरकार द्वारा करने और अधिकतम 10 करोड़ रूपए विकास लागत और 50 करोड़ रूपये की अधिप्राप्ति लागत वाली सरकार द्वारा वित्त-पोषित मेक-I परियोजनाओं को एमएसएमई के लिए आरक्षित करने हेतु प्रावधान किए गए हैं । उद्योग द्वारा वित्त-पोषित प्रति वर्ष अधिकतम 3 करोड़ रुपए की विकास लागत और 50 करोड़ रूपये की अधिप्राप्ति लागत वाली मेक-II परियोजनाओं को भी एमएसएमई के लिए आरक्षित किया गया है।

vi. रक्षा उपस्करों के स्वदेशी विकास एवं विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए डीपीपी के तहत 'बनाओ-II' श्रेणी हेतु अलग प्रक्रिया अधिसूचित की गई है। अनेक उद्योग हितैषी प्रावधान जैसे पात्रता मानदंड में छूट, न्यूनतम दस्तावेजीकरण, उद्योग/व्यक्ति आदि द्वारा स्वतः सुझाए गए प्रस्तावों पर विचार करने हेतु प्रावधान इत्यादि शामिल किए गए हैं ।

vii. सरकार ने 'सामरिक साझेदारी (एसपी)' माडल अधिसूचित किया है जिसमें एक पारदर्शी और प्रतियोगी प्रक्रिया के जरिए भारतीय संस्थाओं के साथ दीर्घकालिक सामरिक साझेदारियां स्थापित करने का प्रावधान है जिनमें वे प्रौद्योगिकी अंतरणों के लिए वैश्विक मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओईएम) के साथ गठबंधन करेंगे ताकि घरेलू विनिर्माण अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थापित की जा सकें ।

viii. सरकार ने रक्षा प्लेटफार्मों में प्रयोग किए जाने वाले संघटकों एवं कलपुर्जों के स्वदेशीकरण के लिए एक नीति मार्च, 2019 में अधिसूचित की है जिसका उद्देश्य एक ऐसे औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करना है जो भारत में विनिर्मित किए जाने वाले रक्षा उपस्करों एवं प्लेटफार्म के लिए आयातित संघटकों (एलॉयज एवं विशेष सामग्रियों सहित) का स्वदेशीकरण करने में सक्षम हो ।

ix. सरकार ने देश में रक्षा औद्योगिक आधार की प्रगति और आर्थिक विकास के इंजन के रूप में सेवा करने के लिए दो रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित करने का निर्णय लिया है । ये गलियारे तमिलनाडु में चैन्नई, होसुर, कोयम्बतूर, सालेम एवं तिरूचिलापल्ली तक और उत्तर प्रदेश (यू.पी.) में अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट एवं लखनऊ तक फैले हैं ।

x. एमएसएमई एवं निजी क्षेत्र हेतु तृतीय पक्ष को शामिल करके जांच सेवाओं के प्रभावकारी प्रशासन एवं 'ईज ऑफ डुइंग विजनेस' को बढ़ावा देने हेतु मई 2018 में 'तृतीय पक्ष जांच सेवाओं' संबंधी नीति अधिसूचित की गई है।

xi. भारतीय ऑफसेट साझेदारों (आईओपी) एवं ऑफसेट घटकों यहां तक कि हस्ताक्षरित संविदा में भी परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर ऑफसेट दिशानिर्देशों को लचीला बनाया गया है। विदेशी मूल उपस्कर विनिर्माता (ओइएम) को संविदाओं के हस्ताक्षरित हो जाने के उपरांत आईओपी एवं उत्पादों का विवरण प्रदान करने की अनुमति है। ऑफसेट निर्वहन प्रक्रिया में किया गया है। पारदर्शिता एवं कुशलता लाने हेतु मई, 2019 में 'ऑफसेट पोर्टल' का आरंभ हुआ।

xii. मंत्रालय ने नवम्बर, 2018 में 'मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति' शीर्षक से एक नवीन फ्रेमवर्क का गठन किया है जिसका लक्ष्य स्वदेशी रक्षा उद्योग में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) संस्कृति को बढ़ावा देना है।

xiii. मंत्रालय में फरवरी, 2018 को रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ का गठन सभी आवश्यक सूचना सहित निवेश के अवसरों, प्रक्रियाओं एवं क्षेत्र में निवेश हेतु नियामक आवश्यकताओं से संबंधित प्रश्नों का उत्तर प्रदान करने हेतु किया गया है।

xiv. औद्योगिक लाइसेंसो की आवश्यकता वाले रक्षा उत्पादों की सूची को तर्कसंगत बनाया गया है एवं अधिकांश हिस्सों अथवा घटकों के विनिर्माण हेतु औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। आईडीआर अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत औद्योगिक लाइसेंस की प्रारंभिक वैद्यता 03 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई है एवं मामला दर मामला आधार पर 03 वर्ष और आगे तक इसे बढ़ा देने का प्रावधान किया गया है।

xv. रक्षा उत्पादन विभाग ने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग द्वारा जारी लोक आधिप्राप्ति आदेश 2017 के अंतर्गत 112 मदों को अधिसूचित किया है। अतः रक्षा पीएसयू एवं ओएफबी को उक्त नीति के अनुसार इन मदों की अधिप्राप्ति के दौरान घरेलू विनिर्माताओं को वरीयता देना आवश्यक है।

भारत में रक्षा उत्पादन के एक भाग के रूप में अनेक महत्वपूर्ण नवीन परियोजनाओं का उत्पादन किया गया है जिसमें 155 एमएम तोप प्रणाली 'धनुष' हल्का लड़ाकू विमान 'तेजस', जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल 'आकाश' अटैक पनडुब्बी 'आईएनएस कलवेरी', 'आईएनएस चेन्नई' आदि शामिल है। विगत तीन वर्षों अर्थात 2016-17 से 2018-19 एवं वर्तमान वर्ष में सितम्बर, 2019 तक सरकार ने पूंजी अधिप्राप्ति की विभिन्न श्रेणियाँ जो डीपीपी 2016 के अनुसार घेरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देती हैं, के अंतर्गत लगभग 263,704 करोड़ रुपये के 130 प्रस्तावों हेतु आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की है। इन श्रेणियों में अधिप्राप्त रक्षा उपस्कर को डीपीपी में निर्धारित न्यूनतम स्वदेशी सामग्री का अनुपालन करना आवश्यक है। भारतीय रक्षा कंपनियां निजी एवं सार्वजनिक दोनों को डीपीपी में निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुरूप पूंजी मदों की अधिप्राप्ति में भाग लेने की अनुमति है।

***